

राजशाही/उत्तर/फ-3/यूरी-18/2000/एमएड़/

दिनांक : 22.09.2000

भारत के राजपत्र भाग-८, खण्ड-४ में प्रकाशनार्थ

आदेश

हमें नन्दन यहांगा गढ़वाल विश्वविद्यालय, टेटरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश ने विश्वविद्यालय में कार्यस एमएड़ पाठ्यक्रम की मान्यता देतु समिति कार्यालय में दिनांक 11.9.98 को अविदेन किया था जो समिति कार्यालय में दिनांक 24.9.98 को ग्राह किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 को समाप्त हुई 25 वीं बैठक में ग्रहन किया गया था। समिति ने संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन-पत्र एवं दूसरे वस्तुओं का अकाउंट कर पाया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए निश्चित मानदंडों के अनुसार विस्तृत कमियां हैं।

क्रमी.	संस्था में पाइ गई कमियां
1	संस्था को नीचे ओर एमएड़ के लिए कुल 12 रीडर/व्याख्याताओं की आवश्यकता है। जबकि संस्था के चाम चार रीडर और तीन न्यूज़लाइट कुल सात अध्यापक स्तरों का है। केवल नीचे, नीचे सात एवं ऊपर को पहुंचने वाले रीडर/प्राध्यापकों की सूची में शामिल, उत्तर स्नातकोत्तर उपाधि के लिए एक प्राप्तांक 25 वा समकक्ष उपाधि, बीएनडी/याकूफल की विधि प्राप्त करने का वर्ष, जिनके द्वारा प्रकाशित जाए तो नियमों आदि का विवरण नहीं भेजा गया। इससे वह ज्ञान नहीं होता है कि एमएड़ के लिए पाठ्यद मानदंडों के पैदा 2.1 के अनुसार एमएड़ की न्यूकूप 25 सौंदरी रूप लिपिग्राही विविध संस्कृत एवं सांस्कृतिक भेदभाव, 2 बीडर व 2 प्राध्यापक संस्था में विविक्त गठित चबन समिति द्वारा लिया गया एवं पूर्णांकित 1 प्रोफेसर, 2 बीडर व 2 प्राध्यापक संस्था में हैं या नहीं। जूँकि बीडर व एमएड़ की मूली भूमि समस्त सूनाओं के अलावा ये ग्रन्थालयों की कमी है। अतः एमएड़ देतु उक टीनिंग स्टॉफ की कमी है। इस प्रकार संस्था के पास एक ग्रोप्हार, दो ग्रोप्हारों की व्याख्याताओं की कमी है।
2	पारेक्यु मानदंडों के पैदा 3.5.2 के अनुसार एमएड़ विट अन्यथा न आदियों-वीटियों के तर लाइब्रेरी नहीं है।

अतः विश्वविद्यालय को उत्तर क्षेत्रीय के संदर्भ में विस्तृत अध्यापक ग्रन्थालय करने के लिए पाठ्यद अधिनियम की धारा 14 (3) (गी) के तहत नोटिस प्रेषित कर दिया जाए तभी सत्र 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता प्रियनं तक प्रवश्य नहीं करने के लिए भी सिद्ध दिया जाए।

समिति द्वारा यह उत्तर क्षेत्रीय के पाठ्यद विविध विषयों को प्राप्त करने के लिए एमएड़/उत्तर/फ-3/यूरी-18/एमएड़/2000/1320-23 दिनांक 16.5.2000 प्रेषित नियमों द्वारा नियमित विविध विषयों को ग्रन्थित किया गया था तथा तारीख 2000-2001 में उत्तर क्षेत्रीय समिति के द्वारा मान्यता विलम रक एमएड़ पाठ्यक्रम में प्रवेश व काले के लिए भी दिया गया। विश्वविद्यालय में समिति कार्यालय के उत्तरक शास्त्रीय व्याख्यापक शिक्षा प्रशिक्षण अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी नियमों/प्राप्तांकों की प्रति ज्ञान अन्य सम्बन्धित दसावेद आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 मई, 2000 की समझत हुई 27 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए हैं। समिति ने प्रत्यक्षण मह विवाद कर पाया कि विश्वविद्यालय में प्राप्त शानदंडों के अनुसार एमएड़ पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक नहीं है। अतः विश्वविद्यालय को उत्तर क्षेत्रीय के लिए एमएड़ अन्यथा न आदियों-वीटियों के तर लाइब्रेरी नहीं है। समिति के लिए एमएड़ विविध विषयों को उत्तर क्षेत्रीय के लिए एमएड़ अधिनियम की प्रति ज्ञान अन्य सम्बन्धित दसावेद के साथ प्रस्तुत किया गया था। समिति ने प्रकल्प प्रयोग कर पाया कि विश्वविद्यालय में प्राप्त एमएड़ पाठ्यक्रम देतु याएँ प्राप्त पाठ्यक्रम में कार्यस अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक नहीं है और वही नियमान्वयनों के अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं। जूँकि एमएड़ पाठ्यक्रम के लिए परिषद् मानदंडों का भासीकार कर दिया जाए।

प्राप्तिलय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004

कार्यालय : उत्तर प्रदेश, विल्हेल्मी, हरियाणा, गोदावरी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620118

पाठ्यक्रम हेतु बाणीष्ठ पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अध्यापक नहीं हैं और न ही नवमान पर्वों के अतिरिक्त कोई अन्य पद है जिनकि एमएस्ट पाठ्यक्रम के लिए पारिषद् समिद्धों के अनुसार 4 अध्यापक अलग से होने चाहिए। अतः विषयनिश्चालय के एमएस्ट पाठ्यक्रम की भागता को अस्वीकार कर दिया जाए।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त विषयव के अनुसार होमचली नेटवर्क बहुगुणा गवाहाल विषयविशालय टेली परिसर, टिहरी- 249001 उत्तर प्रदेश के एमएस्ट पाठ्यक्रम की मान्यता फौ गुप्त उभाव से अखोकार किया जाता है तथा विषयविशालय एवं सम्बन्धित अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि विषयविशालय में एमएस्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश न करे। यह विषयविशालय प्रतीक्षा करता है तथा उन छात्रों को परीक्षा आयोजित कर उनके एमएस्ट पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो गृहीय अध्यापक शिक्षा पारिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17(4) के अन्वानित उन छात्रों को प्रवत एमएस्ट की उपाधि केन्द्र प्रकार कोई भी धार्य सरकार या विषयविशालय या किसी भी विद्यालय या महानिशालय अन्य शैक्षिक संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार या किसी भी धार्य सरकार द्वारा अनुवानित हो में रोजगार के लिए नैय योग्यता नहीं माना जाएगी। यह संस्था चाहे तो उक गांदेश के सापेश गृहीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अंशोंन प्रतिवर्त विषयविशालय में हर आठेश के जारी होने की लिखि से 60 दिन के भीतर गृहीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के मार्ग में विषयविशालय के साथ मालमत निषेजा द्वारा है। इस आदेश का अप्रैली अनुमान छात्रों द्वारा लिया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ. ए. के. जोशी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्रबन्धक

प्रकाशन विभाग (प्रबन्ध अनुभाग)

भारत सरकार, डिविल साइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थी एवं भाग्यशयक जार्यार्थी हेतु :

1. शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन शिक्षालय, लखनऊ
3. निदेशक, उत्तर शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद
4. युवा सचिव, हेमती नेटवर्क बहुगुणा गवाहाल विषयविशालय टेली परिसर, टिहरी- 249001 उत्तर प्रदेश
5. सदरश सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
6. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, शिक्षा संस्करण, हेमती नेटवर्क बहुगुणा गवाहाल विषयविशालय टेली परिसर, टिहरी- 249001
7. कम्प्यूटर साइल, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

क्षेत्रीय निदेशक